अति तत्काल

फैक्स:011-2**3385738** **फा.सं. 2-2(18)/2011 – सा. II**

संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली – 110069

सेवा में दिनांक: 23 जनवरी,2012

प्रिय महोदय,

श्री जे.सुधाकर, अवर सचिव (सा.) को संबोधित मुहरबंद बोलियां आमंत्रित की जाती हैं जिसपर मोटे अक्षरों में " नॉन एच पी कम्प्यूटर उपभोज्य के प्रापण के लिए निविदा" लिखा हो जो विनिर्दिष्ट मदों के लिए सं. लो.से.आ. के स्वागत कक्ष के गेट 'सी' पर रखे निविदा बाक्स में **15/02/2012** को 3.00 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाए ।

(i) नॉन एच पी कम्प्यूटर उपभोज्य –अनुबंध 1 में विनिर्दिष्ट मदें ।

कृपया नोट कर लें :- अनुबंध 1 में विनिर्दिष्ट मात्राएं केवल संभावित मात्रा है तथा उपर्युक्त अपेक्षित मात्रा सं.लो.से.आ. की अपेक्षाओं के अनुसार संविदा की वैधता के दौरान घटाई या बढाई जा सकती है ।

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. बोली श्री जे.सुधाकर, अवर सचिव (सा.II) को संबोधित होगी तथा नीचे पैरा 5 में वर्णित विवरणी के अनुसार दो भागों में **15/02/2012** को या उससे पहले 3.00 बजे अपराह्न तक जमा की जाएगी ।

2. बोली सं.लो.से.आ. धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली – 69 के गेट सी के स्वागत कक्ष के काउंटर पर रखे निविदा बाक्स में डाली जाएगी ।

3. तकनीकी बोलियां उसी दिन आयोग सचिवालय, सं.लो.से.आ. के कमरा सं. 208ए, दूसरा तल में बोलीदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों जो इसमें शामिल होना चाहते है की उपस्थिति में 3.30 बजे अपराह्न में खोली जाएगी ।

4. यदि बोलियां उसी दिन जमा करने की अंतिम तारीख को अवकाश होता है तो बोली अगले कार्य दिवसों में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय पर प्राप्त तथा खोली जाएगी ।

5. <u>बोलियों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

बोलीदाता निविदा को दो सीलबद्व लिफाफे में जैसाकि नीचे निर्धारित किया गया है श्री जे.सुधाकर, अवर सचिव (सा.) के नाम से सम्बोधित करते हुए इस कार्यालय के स्वागत कक्ष (गेट स□सी) □र रखे निविदा बाक्स में **<u>15/02/2012</u>** तक या उससे □हले 3.00 बजे अ□राह्न तक जमा करेगें ।

i) <u>प्रथम सीलबद्व लिफाफे में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए</u>

क) जमा धरोहर राशि 25,000/-रू. (□च्चीस हजार रू. मात्र)की डिमाण्ड ड्राफ्ट/□ आर्डर के रू□ में जो सचिव, स□ लो.से.आ. को देय हो, जमा की जाएगी। केन्द्रीय भण्डार, एनसीसीएफ,एनएसआईसी/ डीजी एस एव□डी से □ंजीकृत फर्म तथा अन्य सगठन नियमों के अन्तर्गत जमा धरोहर राशि को जमा करने से छूट प्राप्त है, का दस्तावेजी प्रमाण को प्रस्तुत करने □र ही जमा धरोहर राशि को जमा करने से छूट प्राप्त है । अन्य बोलीदाताओ□को उ□र्युक्त निर्धारित प्र□त्र में जमा धरोहर राशि को जमा करना अनिवार्य है ।

ख) वर्ष 2010-2011 सहित □िछली तीन वर्षों की आयकर विवरणी तथा तुलन □त्र की प्रतिया□।

ग) सरकारी विभागों/प्रतिष्ठत शैक्ष्िाक सस्थाओ□/ लोक सेवा आयोग / सार्वजनिक क्षेत्र के उ□क्रमों या प्रतिष्ठित निजी फर्म जहा□फर्म ने आ□ूर्ति की है या उक्त मदों की आ□ूर्ति कर रहा है, की सूची । सरकारी विभागों /प्रतिष्ठित शैक्षिक सस्थाओ□/ लोक सेवा आयोग / सार्वजनिक क्षेत्र के उ□क्रमों या प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के फर्म जो आ□ूर्ति करेगा, की कार्य आदेश की प्रतिया□।

घ) प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा एक प्रमाण-□त्र की बोलीदाता को निविदा की सभी निबधन एव□शर्ते स्वीकार्य है।

ड़) लिफाफे □र मोटे अक्षरों में “ नॉन एच □ी कम्प्यूटर उ□भोज्य के लिए तकनीकी बोली” लिखा होना चाहिए ।

(ii) <u>दूसरे सीलबन्द लिफाफे में</u> वित्तीय बोली तथा तकनीकी बोली के साथ जमा धरोहर राशि के रू□ में डिमाण्ड ड्राफ्ट / □ आर्डर की फोटो प्रति शामिल होनी चाहिए । लिफाफे □र मोटे अक्षरों में “ नॉन एच □ी कम्प्यूटर उ□भोज्य के लिए वित्तीय बोली” लिखा होना चाहिए ।

(iii) दोनों सीलबद्व लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर जिस□र विधिवत रू□ से मोटे अक्षरों में “ नॉन एच □ी कम्प्यूटर उ□भोज्य के लिए निविदा ” लिखी होनी

चाहिए ।

5.2 केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां अनुवर्ती तारीख में खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बोलियां / नमूने निर्धारित तकनीकी विनिर्दिष्टिताओं को पूरा करते हैं। संबंधित पार्टियों को वित्तीय बोली को खोलने की सूचना स्पीड पोस्ट/कोरियर/फैक्स जैसा भी मामला हो, द्वारा दी जाएगी।

बोलियों को जमा करने की अंतिम तारीख 15/02/2012 को 3.00 बजे अपराह्न तक है। तकनीकी बोलियां उसी दिन 3.30 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कमरे में, कमरा नं. 208ए, दूसरा तल, आयोग सचिवालय भवन, सं.लो.से.आ. में ऐसे बोलीदाता जो इस अवसर पर उपस्थित होना चाहते हैं, की उपस्थिति में खोली जाएगी ।

6. जमा धरोहर राशि अंतिम बोली वैधता अवधि से परे पैंतालीस दिन की अवधि के लिए वैध रहेगी । निविदा को अंतिम रूप प्रदान लिए जाने के बाद असफल बोलीदाताओं को जमा धरोहर राशि लौटा दी जाएगी तथा सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि नीचे दी गई खंड 8 में यथानिर्धारित निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी । किसी भी परिस्थिति में सं.लो.से.आ. द्वारा जमा धरोहर राशि तथा निष्पादन प्रतिभूति पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

7. <u>देरी से प्राप्त बोलियां</u> : देरी से प्राप्त बोलियां अर्थात विनिर्दिष्ट तारीख तथा समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

8. <u>निष्पादन प्रतिभूति</u> : सफल बोलीदाता को आशय पत्र की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर संविदा मूल्य के 10% निष्पादन प्रतिभूति जो डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर/बैंक गारंटी के रूप में सचिव सं.लो.से.आ. के पक्ष में दिल्ली में देय होगा, प्रस्तुत करना अपेक्षित है। आयोग द्वारा निष्पादन प्रतिभूति को सामग्री की संतोषप्रद रूप से सुपुर्दगी के पूर्ण होने तक रखा जाएगा । निष्पादन प्रतिभूति सभी संविदात्मक बाध्यता सहित वारंटी बाध्यता के पूरे होने तक साठ दिनों तक वैध रहेगी ।

9. यह स्पष्ट तौर पर समझा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित समय कार्यक्रम के अनुसार आपूर्ति पूरी नहीं किए जाने की स्थिति में निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी । यह परिसमाप्त क्षति / शास्ति, यदि कोई हो, जो लगाई जा सके, जैसाकि निबन्धन और शर्तो में उल्लिखित है, के अतिरिक्त होगी । निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति पर सफल बोलीदाता को जमा धरोहर राशि लौटा दी जाएगी ।

<u>अन्य निबंधन एवं शर्तें</u>

10. संविदा इसके प्रदान करने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी ।

11. दरें संविदा की पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहनी चाहिए और गंतव्य स्थल के आधार पर दरें उद्धृत की जाए । सामान की कीमतों में वृद्धि से संविदा प्रभावित नहीं होगी और बोलीदाता को इस वद्धि के परिणाम-स्वरूप राशि के अन्तर का दावा करने का हक नहीं होगा। तथापि, शुल्क अथवा करों में कमी होने के प्रभाव को बोलीदाता द्वारा सं.लो.से.आ. को अंतरित कर दिया जाएगा।

12. निविदा की मुद्रित निबंधन एवं शर्तों को बोली के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा । यदि किसी बोलीदाता को इस निविदा के आमंत्रण पर लागू संविदा की निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य नहीं है तो उन्हें अपनी बोली में विचलन को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए । सं.लो.से.आ. के पास निविदाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार है और आयोग पर विचार करने से इंकार करने, स्वीकार करने या उन्हें अस्वीकार करने का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है तथा ऐसे विचलन सहित बोली पर विचार न करने के लिए कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

13. काल्पनिक और सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

14. इन बोलियों में उतपन्न होने वाले सभी कानूनी विवाद, यदि कोई हो, केवल दिल्ली न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अध्यधीन होंगे।

15. दरें, "प्रति इकाई" के आधार पर बताई जाएं और इसमें सं.लो.से.आ. में सामग्री पहुंचाने संबंधी सभी प्रभार शामिल होंगे।

16. प्रत्येक बोली दाता को तकनीकी बोली के साथ प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह प्रमाणित हो कि निविदा आमंत्रण सूचना की सभी शर्तें उन्हें स्वीकार्य हैं।

17. वित्तीय मूल्यांकन अनुबंध-I में उल्लिखित सभी मदों के लिए अलग-अलग व्यष्टि तौर पर किया जाएगा ।

18. वैट/ एल एस टी / सी एस टी यदि कोई हो, को अलग से दर्शाया जाए ऐसा न करने पर कर को शामिल करते हुए दर्शाए गए मूल्य ही लिए जाएगें और अतिरिक्त कर के लिए तदनुसार कोई अनुरोध इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

19. संघ लोक सेवा आयोग के पास कभी भी संविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है यदि वह इससे संतुष्ट है कि बोलीदाता संविदा वैधता अवधि के दौरान संविदा के निबंधन और शर्तों के अनुसार दायित्व पूरा करने में असफल रहा है । इस संबंध में सं.लो.से.आ. का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

20. **आयकर :** यथा लागू मूल निविदा बिलों से वसूलनीय । निविदा कर्ता, आयकर निकासी प्रमाणपत्र के साथ अपने स्थाई आई टी खाता सं (पी ए एन) का उल्लेख करे । वे यदि आयकर दाता है तब उन्हें निम्नलिखित रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करन अपेक्षित है :-

"प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमे पिछले तीन वर्षो के दौरान आय/ सम्पत्ति को छिपाने के लिए दण्डित या अभिशंसित नहीं किया गया है।"

21. **जोखिम क्रय खंड**

यदि फर्म, बोली जमा होने और इसके विधिवत स्वीकार होने अर्थात् आदेश देने के बाद निविदा दस्तावेज़ों की निबन्धन और शर्तो के अनुपालन में विफल रहती है और / अथवा नियत कार्यक्रम के अनुसार सुपुदर्गी निष्पादित करने में असफल रहती है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करती है तब सं.लो.से.आ. के पास जमा धरोहर राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और फर्म के जोखिम और परिणाम पर अन्य फर्म द्वारा कार्य कराने का अधिकार होगा । वैकल्पिक व्यवस्था और फर्म की बोली मूल्य के बीच की लागत संबंधी अन्तर की वसूली अन्य प्रारंभिक प्रभारों और सीमा शुल्क, कर, मालभाड़ा और बीमा आदि के साथ फर्म से की जाएगी । यदि सं.लो.से.आ. वैकल्पिक स्रोतों के जारिए सामग्री की प्राप्ति करने के लिए बाध्य हो जाता है और लागत कम हो तब उसका लाभ फर्म को नहीं दिया जाएगा ।

22. **निर्धारित क्षति / शास्ति**

यदि बोली लगाने वाला संविदा की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग, निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने के साथ कुल संविदा मूल्य का 100% तक शास्ति अधिरोपित कर सकता है ।

23. **सुपुदर्गी** : प्रत्येक आपूर्ति आदेश के प्राप्त करने के 10 दिन के अन्दर, जिसमें विफल होने पर प्रत्येक दिन के लिए 1% की दर से अधिकतम 10% का शास्ति अधिरोपित कर, संबंधित बिल से कटौती की जा सकती है । 10 दिन से अधिक विलम्ब के मामले में संघ लोक सेवा आयोग अपूर्ति आदेश को रद्द कर सकता है तथा फर्म के निष्पादन प्रतिभूति की इस प्रकार की राशि अथवा पूरी राशि जैसे उचित समझी जाए जब्त कर सकता है, साथ ही साथ बोली लगाने वाले की जोखिम एवं खर्चे पर किसी अन्य स्रोत से सामग्री का प्रापण कर सकता है । संघ लोक सेवा आयोग के सचिव का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा ।

24. **भुगतान** : प्रत्येक मौके पर संतोषजनक सुपुदर्गी के पश्चात् 100% भुगतान कर दिया जाएगा ।

25. **अनिवार्य बाध्यता** : फर्म अपने उचित नियंत्रण से परे कारणों के कारण, जिसमें दैवीय कार्य, लड़ाई, दंगो, व्यापार-अवरोधों, हड़ताल, तालाबन्दी, किसी सरकारी प्राधिकरण के कार्य लाइसेंस प्राप्त

करने में विलंब अथवा संविधियों के अन्तर्गत आवेदनों के निरस्त होने,विद्युत विफलता , दुर्घटना अथवा बाधा अथवा फर्म के किसी दुराशय प्रकट न होने के कारण उदभूत संकार्यो, आग अथवा बाढ़ शामिल हैं , लेकिन उस तक सीमित नहीं है,के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी ।

26. <u>बोली भेजने के दौरान निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तें ध्यान में रखी जाएं :-</u>

(क) फर्म ऐसी स्थिति में हो कि अल्प सूचना पर जब भी और जब आवश्यक हो, सामग्री की आपूर्ति कर दे ।

(ख) इस कार्यालय को सामग्री भेजने के सभी खर्चे फर्म के द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(ग) प्रत्येक आदेश के प्राप्त करने के 10 दिन के अन्दर सामग्री इस कार्यालय में सुपुर्द कर दी जाए ।

(घ) बोलीदाता अपना टेलीफोन नम्बर (कार्यालय सहित आवास) एवं अपना मोबाइल फोन नं. भी दर्शाएं ताकि आपातकालीन स्थिति में उनसे सम्पर्क किया जा सके । यदि फैक्स नम्बर / ई-मेल आई डी हो तो उसे भी दर्शाया जाए ।

27. संघ लोक सेवा आयोग अपने पास सभी या किसी भी बोली को, बिना कारण बताए, स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

28. बोली तकनीकी बोलियों को खोलने की तारीख से छ: माह के लिए वैध होगी ।

29. निविदा नोटिस आयोग की वेबसाइट; upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

(जे.सुधाकर)

अवर सचिव (सा.II)

सं.लो.से.आ.

अनुबंध I

फा.2-2(18)/2011-सा.II

वर्ष 2011-12 के दौरान नॉन एच पी कम्प्यूटर उपभोज्य की अनुमानित वार्षिक अपेक्षा -------------------

क्र.सं.	मद का नाम	उत्पाद की बनावट	अनुमानित वार्षिक अपेक्षा	दर प्रति इकाई रू. में	कर यदि कोई हो रू. में	कुल राशि रू. में
1.	**एल क्यू 1050 प्रिंटर रिब्बन**		**1000**			
2.	सी डी-आर डब्ल्यू एस		200			
3.	प्रिंटर हेड एल क्यू-1050/ ई एस पी एन 10 डब्ल्यू ई पी 1070 मूल पैकिंग में		100			
4.	प्रिंटर हेड टी वी एस- 355/ टी वी एस एम एस एफ प्रिंटर मूल पैकिंग में		10			
5.	ज्वैल पैक (4 जी बी) मूल सील सहित ज्वैल		400			

	पैक में डी वी डी - आर				
6.	**फ्लापी 3-1/2” (उच्च घनत्व)**		**200**		
7.	ज्वैल बॉक्स सहित मूल सील में सी डी आर		2000		
8.	लिपि (टाली) टी-2280मूल पैकिंग में प्रिंटर रिब्बन		15		
9.	एफ-500 मूल पैकिंग में प्रिंटर रिब्बन		5		
10.	एच क्यू 2000 प्रिंटर रिब्बन (मूल पैकिंग)		10		
11.	लिपि (टाली) टी 6215/टी/6215एल/ टी 6306 एल प्रिंटर रिब्बन भाग सं 100091-001 मूल पैकिंग में		50		
12.	लिपि (टाली) टी 6550प्रिंटर रिब्बन भाग सं100019-001 मूल पैकिंग में		10		
					कुल

(ज॰सुधाकर)

अवर सचिव (सा.II)

सं॰लो.से॰आ.